न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 46/2020

प्रार्थी:–

रतनाराम पुत्र पुरखाराम जाति चौधरी निवासी डाबली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर
2. मांगी पत्नी पुरखाराम जाति चौधरी निवासी डाबली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28/06/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम डाबली पटवार हल्का मोतीसरा खसरा संख्या 75 रकबा 00.8661 हैक्टयर भूमि आई हुई है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी के पिता पुरखाराम के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र पुरखाराम कौम चौधरी अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्ताविक नाम रूपाराम पुत्र पुरखाराम है फौतदगी नामान्तरकरण के समय प्रार्थी नाबलिग था अब प्रार्थी बालिग हो चुका है। खातेदारी कृषि भूमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थी का समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता व स्कूली दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम रतनाराम पुत्र पुरखाराम दर्ज है फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से घर पर बोले जाने वाले नाम के कारण रूपाराम दर्ज कर दिया । अतः उक्त त्रृटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 2 के बयान कलमबद्ध कर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 ने अपने बयानों में बताया है कि प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 2 का पुत्र है ,सरहद मौजा डाबली पटवार हल्का मोतीसरा खसरा संख्या 75 रकबा 00.8661 हैक्टयर विप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है । फौतदगी नामान्तरकण भरते समय मेरे पुत्र का नाम रतनाराम के स्थान पर रूपाराम दर्ज कर दिया गया । माफिक इस्तदुआ यदि प्रार्थी का नाम रूपाराम के स्थान पर रतनाराम किया जाता है विप्रार्थी संख्या संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व स्कूली दस्तावेज के आधार पर रूपाराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र पुरखाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता व स्कूली दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम रतनाराम पुत्र पुरखाराम अंकित है । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि रूपाराम व रतनाराम पुत्र पुरखाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात स्कूल दस्तावेज व ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र पुरखाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा डाबली पटवार हल्का मोतीसरा खसरा संख्या 75 रकबा 00.8661 हैक्टयर में अंकित अशुद्ध नाम "रूपाराम पुत्र पुरखाराम" के स्थान पर "रतनाराम पुत्र पुरखाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक [illegible]/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:32 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलत्ता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)